न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 106/2017 G.C.M.S. No. 2017/00354 दर्ज दिनांक : 08.06.2017

अपीलार्थिगण:

1. महेन्द्र भाटी पुत्र किशोरलालजी, जाति घांची, निवासी 17 घांची कॉलोनी, पीली टंकी के पास, भगत की कोठी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, रोहट, जिला पाली।
2. ज्योति आसवानी पत्नि नरेन्द्र आसवानी, जाति सिंधी, निवासी 185/210, कमला नेहरू नगर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
3. चैनसिंह पुत्र भीखसिंह, जाति राजपूत, निवासी कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संप./2016/3122 दिनांक 26.09.2016 मौजा ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बांडाई के खसरा संख्या 87 रकबा 02–09 बीघा एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री ज्योतिकुमार शर्मा, श्री तरूण उपाध्याय विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संप./2016/3122 दिनांक 26.09.2016 मौजा ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बांडाई के खसरा संख्या 87 रकबा 02–09 बीघा एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि मौजा ग्राम मुकनपुरा, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 87 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के खातेदारी हक अधिकार की आई हुई थीं। उपरोक्त कृषि भूमि में से 2 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.12.2015 को अपीलाण्ट को बेचाण हस्तांतरण की तथा मौके पर भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा सुपुर्द किया, तब से उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के कब्जाकाश्त एवं मालिकाना हक अधिकार में ही है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में से शेष बची 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को चैनसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत, निवासी कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर को बेचाण हस्तांतरण की। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने अपने उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपीलाण्ट व चैनसिंह पुत्र भीखसिंह को बेचाण हस्तातरण कर दिया था तथा उक्त खसरा में रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 की कृषि भूमि शेष नहीं बची थीं, उपरोक्त कृषि भूमि का बेचाण हस्तांतरण करने के बाद उपपंजीयक रोहट के द्वारा रेफरेन्स पेश करने पर श्रीमान कलेक्टर मुद्रांक, पाली वृत्त पाली के समक्ष स्टाम्प प्रकरण संख्या 7/2016 व 8/2016 अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व चैनसिंह के विरूद्ध दर्ज हुआ, जिस पर अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट व चैनसिंह द्वारा उक्त प्रकरण में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर पैरवी की गई। तत्पश्चात कलेक्टर मुद्रांक पाली वृत्त पाली द्वारा उपरोक्त स्टाम्प प्रकरण में दिनांक 30.01.2017 को निर्णय पारित किये गये, तत्पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरण इन्द्राज कराने हेतु हल्का पटवारी को आवेदन करने पर उपरोक्त जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.05.2017 को हुई कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने बिना हक, अधिकार के उपरोक्त कृषि भूमि में से 3 बीघा कृषि भूमि के सम्बंध में जैर अपीलाधीन सम्परिवर्तन आदेश प्राप्त किया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 22.05.2017 को होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अतिशीघ्र यह अपील उक्त आधारों पर प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नं. 87 का कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा थीं। जिसमें से पूर्व में 3 बीघा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर दिया था तथा 3 बीघा कृषि भूमि का ज्योति आसवानी पूर्व में बेचाण हस्तांतरण श्रीमति मधु भाटी पत्नि महेन्द्र भाटी निवासी जोधपुर को कर दिया था तथा मौके पर अलग खसरा नंबर इन्द्राज हो गये थें। उसके बाद उपरोक्त खसरा संख्या 87 में से 4 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि शेष रही थी, जो रेस्पोंडेण्ट ज्योति आसवानी ने उपरोक्त प्रकार से बेचाण हस्तांतरण अपीलाण्ट व चैनसिंह को कर दी थी। उपरोक्त बेचाण हस्तातरण करने के बाद रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के पास उपरोक्त खसरा संख्या 87 में कोई कृषि भूमि शेष नहीं बची थी यानि खसरा संख्या 87 की कृषि भूमि पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 का कोई खातेदारी हक अधिकारी नहीं थी। उसके बावजूद बिना हक अधिकार के जैर अपीलाधीन आदेश फर्जी व कूटरचित तरीके से वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये प्राप्त किया। जो कानूनन निरस्त करने योग्य है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने खसरा संख्या 87 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में से 2 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि का अपीलाण्ट को व 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का चैनसिंह पुत्र भीखसिंह को बेचाण हस्तांतरण दिनांक 11/12/2015 को अलग–अलग बेचाननामा निष्पादित कर दिया था। उसके बाद उपपंजीयक रोहट के रेफरेन्स करने पर उपरोक्त दोनों विक्रय–विलेख के सम्बंध में स्टाम्प प्रकरण संख्या 7/2016 व 8/2016 न्यायालय कलेक्टर मुद्रांक पाली,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वृत्त पाली के न्यायालय में दर्ज किया, जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व चैनसिंह को तलब किया गया। बाद जवाब उक्त प्रकरणों का निस्तारण कलेक्टर मुद्रांक पाली द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2017 को किया गया, उसके पश्चात उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने बिना किसी हक अधिकार के जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना रोहट व पुलिस अधीक्षक महोदय, पाली को रिपोर्ट की तथा श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साम्प्रदायिक दंगा, पाली के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा. द.स. का प्रस्तुत किया। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 87 में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी फर्जी एवं कूटरचित तरीके से जैर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया, जो कानूनन निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 87 अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख खरीद की थी, तब से उक्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकार अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 को प्राप्त है तथा मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 2 के विरूद्ध दर्ज स्टाम्प प्रकरण के कारण उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरण इन्द्राज अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के पक्ष में नहीं होने का फायदा उठाते हुये व उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत बढ़ जाने से उपरोक्त कृषि भूमि को हड़पने हेतु फर्जी व कूटरचित तरीके से रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने उपरोक्त कृषि भूमि को अपने खातेदारी हक अधिकार की बताते हुये श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संपरिवर्तन कराने हेतु आवेदन किया और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर जैर अपीलाधीन आदेश वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये फर्जी एवं कूटरचित तरीके से प्राप्त किया। जो आदेश प्राप्त करने का रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 को प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं था। ऐसा आदेश अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के विरूद्ध होने से कानूनन निरस्त करने योग्य है। जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने बिना हक अधिकार के उपरोक्त कृषि भूमि को अपनी खातेदारी कृषि भूमि बताकर फर्जी व कूटरचित तरीके से आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया, जबकि उपरोक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाण करने से खसरा संख्या 57 ने कोई कृषि भूमि शेष नहीं रही थी, उसके बावजूद भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 ने बिना हक अधिकार के उपरोक्त कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराने हेतु नियमों के विरूद्ध फर्जी व कूटरचित आवेदन किया, और ऐसे आवेदन के आधार पर वास्तविक सत्य को छुपाते हुये जैर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया, जो कानूनन निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट 3 के खातेदारी हक अधिकार एवं खरीदशुदा मालिकाना कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भूमि है। जिस कृषि भूमि के सम्बध में अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 ने उपरोक्त कृषि भूमि को संपरिवर्तन कराने हेतु विधिवत रूप से कोई आवेदन नहीं किया गया और ना ही संपरिवर्तन नियमों के तहत कोई राजकोष में राशि जमा कराई। उसके बावजूद भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा फर्जी व कूटरचित कार्यवाही के आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके की जांच नहीं की गई और बाले–बाले रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से मेल–मिलावट कर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि उपरोक्त कृषि भूमि का मौके पर अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 काबिज काश्त है तथा वक्त खरीद से आज दिन तक भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जे में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी व पटवारी ने मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी के बावजूद रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से मेल–मिलावट कर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जो मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट के हक अधिकार के विरूद्ध होने से कानूनन कोई मान्य नहीं रखती है। ऐसे मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो कानूनन निरस्त करने योग्य है। उक्त जैर अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने ही व अपीलाण्ट से बिना विधिवत कोई जांच किये फर्जी व कूटरचित आवेदन व दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बांडाई तहसील रोहट में स्थित खसरा संख्या 87 कुल रकबा 4–19 बिस्वा कृषि भूमि में से 02–09 बिस्वा के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 2 के आवेदन पर उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संप./2016/3122 दिनांक 26.09.2016 मौजा ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बांडाई के खसरा संख्या 87 रकबा 02–09 बीघा भूमि आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने के विरूद्ध दिनांक 08.06.2017 को प्रस्तुत की गई। जो विलंब से प्रस्तुत है। अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में नामांतरण दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी को आवेदन करने पर जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 22.05.2017 को हुई। जिस पर नकल आदि प्राप्त कर अविलंब अपील प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया है। जिसे निरस्त करवाने हेतु कोई अवधि बाधा नहीं हैं। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 ज्योति आसवानी द्वारा अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 87 रकबा 4–19 बिस्वा में से 02–09 बिस्वा अपीलांट को जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को विक्रय कर दी गई एवं शेष 02–10 बिस्वा भूमि क्रेता रेस्पोंडेंट संख्या 3 को जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार दिनांक 11.12.2015 के पश्चात रेस्पोंडेंट संख्या 2 के नाम ग्राम मुकनपुरा तहसील रोहट के खसरा संख्या 87 में कोई भूमि दर्ज शेष नहीं रही। इसके बावजूद रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा ग्राम मुकनपुरा के खसरा संख्या 87 रकबा 4–19 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी रोहट के समक्ष आवेदन कर दिनांक 23.09.2016 को संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाकर दिनांक 29.09.2016 को अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया गया। जो प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध व क्रेता अपीलांट के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य है। साथ ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं रही। अतः विलंबकाल स्वाभाविक व सद्भाविक तथा युक्तियुक्त होने से माफी योग्य है। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा रेस्पोंडेंट द्वारा कूटरचित तरीके से अपीलांट की जानकारी के बिना अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया। जिसमें अपीलांट का हित निहित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 ज्योति आसवानी द्वारा अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 87 रकबा 4–19 बिस्वा में से 02–09 बिस्वा अपीलांट को जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को विक्रय कर दी गई एवं शेष 02–10 बिस्वा भूमि क्रेता रेस्पोंडेंट संख्या 3 को जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 11.12.2015 के पश्चात रेस्पोंडेंट संख्या 2 के नाम ग्राम मुकनपुरा तहसील रोहट के खसरा संख्या 87 में कोई भूमि दर्ज शेष नहीं रही। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का सद्भाविक क्रेता होने से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व पीड़ित पक्ष है। अतः प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मुकनपुरा तहसील रोहट जिला पाली में स्थित आराजी खसरा संख्या 87 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा रेस्पोंडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज खातेदारी आराजी थीं। जिसमें से रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.12.2015 को क्रेता अपीलांट महेन्द्र भाटी को 02–09 बीघा तथा क्रेता रेस्पोंडेंट संख्या 3 चैनसिंह को 02–10 बीघा कुल रकबा 04–19 बीघा का हस्तांतरण दिनांक 11.12.2015 को ही कर दिया गया था। अर्थात उक्त दिनांक के पश्चात ग्राम मुकनपुरा के खसरा संख्या 87 में रेस्पोंडेंट संख्या 2 का कोई हक–हिस्सा शेष नहीं रहा। उक्त विक्रय–विलेख का भू–अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने तथा जमाबंदी में अपना कागजी नाम होने के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा उपखंड अधिकारी रोहट के समक्ष खसरा संख्या 87 कुल रकबा 4–19 बीघा में से 3 बीघा भूमि आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। जिसे उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संप./2016/3122 दिनांक 26.09.2016 द्वारा स्वीकार कर आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा स्पष्ट व विनम्र अभिमत है कि आवेदक रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा ग्राम मुकनपुरा तहसील रोहट के खसरा संख्या 87 में से अपना संपूर्ण हक–हिस्सा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 को विक्रय कर देने तथा उक्त विक्रय–विलेख का नामांतरण नहीं होने व स्वयं का नाम जमाबंदी में कागजी रूप से अंकिन होने के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन कर महज जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया गया है। जोकि अपीलांट के हितों के विरूद्ध आरंभतः प्रभाव शून्य था, साथ ही अपीलाधीन संपूर्ण आदेश विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संप./2016/3122 दिनांक 26.09.2016 मौजा ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बांडाई के खसरा संख्या 87 रकबा 3–00 बीघा (4856.22 वर्गमीटर) अपास्त किया जाता है। यदि दीगर निषेधाज्ञा आदि प्रभावशील नहीं हों, तो इसी अनुरूप जमाबंदी में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ उपखंड अधिकारी रोहट व तहसीलदार रोहट को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 मास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner